International Journal of Advanced Educational Research
www.multidisciplinaryjournals.org
ISSN: 2455-6157
Received: 09-06-2023, Accepted: 25-06-2023, Published: 11-07-2023
Volume 8, Issue 3, 2023, Page No. 12-14

मौलिक कर्त्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मौलिक अधिकारों के साथ अध्ययन

डॉ पुष्पेंद्र कुमार मुशा[1], सुमन सांदड[2]

[1] सहायक आचार्य, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

[2] शोधार्थी, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

कर्त्तव्य अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अधिकारों का सही उपयोग तभी सम्भव है, जब कर्त्तव्य की सही समझ हो। प्रारम्भ में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश नहीं किया गया था, केवल मौलिक अधिकारों का ही समावेश किया गया था। मौलिक अधिकारों के दुरूपयोग की आशंका से संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का पृथक से उल्लेख किया जाना आवश्यक है, फलतः संविधान के 42 वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्त्तव्यों का समावेश कर दिया गया। इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख है। 'उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्रप्रदेश' राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उपयुर्क्त बात को पुनः दोहराते हुये कहा है कि "मूल अधिकार और नीति निर्देशक एक दूसरे के पूरक हैं और भाग–3 के उपबन्धों का निर्वचन संविधान की उदेशिका तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के सन्दर्भ में करना चाहिये।" डॉ0 बेनीप्रसाद के अनुसार "यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकारों का ध्यान रखे तथा दुसरों के प्रति कर्त्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए अधिकार नहीं रहेंगें।" अधिकार और कर्त्तव्यों का आपस में अत्यंत घनिष्ठ सम्बंध रहा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्त्तव्यों के बिना अधिकारों की मांग करना न्यायोचित नहीं है। हमारे संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व देश की एकता, सम्प्रभुता तथा अखण्डता की रक्षा भी देश की सुरक्षा, प्रगति, प्राकृतिक तथा सार्वजनिक सम्पति की रक्षा में लोकतंत्र को सफल बनाने में, संस्कृति की रक्षा में, विश्वबन्धुत्व की भावना के विकास में तथा स्त्रियों के सम्मान की दृष्टि से विशेष महत्व है।

मूल शब्दः संविधान, मौलिक कर्त्तव्य, नीति निर्देश सिद्वांत, मौलिक अधिकार

मौलिक अधिकार संविधान के भाग। में अनुच्छेद 12 से शुरू होकर अनुच्छेद 35 तक निहित हैं और ऐसा माना जाता है कि इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान यानी बिल ऑफ राइट्स से अपनी प्रेरणा ली है। संविधान के भाग 3 में निहित अधिकार अपने आप में न्याययोग्य मौलिक अधिकारों की एक लंबी और व्यापक सूची को शामिल करते हैं जिन्हें देश की सामान्य अदालतों द्वारा लागू किया जा सकता है। हमारे संविधान के भाग 3 में निहित ये मौलिक अधिकार दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में कहीं अधिक व्यापक और विस्तृत हैं, यहां तक कि जहां से इसे उधार लिया गया है

भारत के संविधान के निर्माताओं ने 1937 के आयरिश संविधान की धारा 45 से निदेशक सिद्धांतों का विचार और अवधारणा ली है और बदले में इसकी नकल की है। स्पैनिश संविधान से. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या "उपन्यास विशेषताएँष् जैसा कि डॉ. बी.आर. ने कहा है। अम्बेडकर राज्य (संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित) के आदर्शों और सिफारिशों का प्रतीक और निर्देशन करते हैं जिन्हें नीतियां बनाते और कानून बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन पहले के विपरीत यह प्रकृति में अनुचित है।

नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों का निर्धारण

संविधान के 42 वें संशोधन के अनुसार नागरिकों के लिये 10 मौलिक कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया है।

1. संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और संस्थाओं का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोये रखें और उसके आदर्शों पर चलें।
3. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसको बनाये रखें।
4. देश की रक्षा करें और आवश्यकतानुसार राष्ट्र की सेवा करें।
5. सभी लोगों में समरसता और समानता की भावना का निर्माण करें जो भाषा या प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील नदी और अन्य जीव भी हैं, उनकी रक्षा करें उसका संवर्द्धन करें तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत तथा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुये प्रयास और उपलब्धियों की नयी ऊंचाइयों को छू ले।

नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों का महत्व

नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकारों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। यदि मौलिक अधिकार उत्तम जीवन का दर्शन हैं, तो नीति निर्देशक तत्व उनका व्यवहारिक रूप हैं।

नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार ही सरकार को अपनी नीति बनानी चाहिये। ये सिद्धांत केन्द्र सरकार तथा स्थानीय सरकार को दिये गये ऐसे निर्देश हैं, जिनका पालन कर वे भारत के लोगों को बेहतर जीवन और सुविधाएं दे सकें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में

1. राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि एक समान कार्य के लिये पुरूषों तथा महिलाओं को समान वेतन मिले।
2. राज्य कार्य करने, शिक्षा प्राप्त करने तथा बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था और अपंगता की स्थिति में सार्वजनिक सहायता देने का प्रयत्न करेगा।
3. 6–14 वर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
4. वह इस बात का प्रयास करेगा कि समाज के भौतिक संसाधनों को इस प्रकार बांटा जाये कि इससे सभी के हितों की रक्षा हो सके।
5. कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को कारखाने के प्रबन्ध में भागीदार बनाये जाने की व्यवस्था करेगा।
6. लोगों के रहन–सहन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा सार्वजनिक सुधार के लिए राज्य प्रयास करेगा।
7. राज्य प्रदूषण मुक्त स्वस्थ जीवन जीने की सभी परिस्थितियों का निर्माण नागरिकों के लिये करेगा।
8. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा संबंधी आर्थिक हितों को विशेष दायित्व मानकर अत्यन्त सावधानीपूर्वक विकास की ओर अग्रसर करेगा।
9. देश के वन्य जीवन की रक्षा करेगा।
10. प्राचीन ऐतिहासिक इमारतों तथा सांस्कृतिक मूल्यों की स्थायी सम्पदा को सुरक्षित करेगा।
11. कुटीर उद्योग धन्धों को बढ़ावा देगा।
12. पंचायती राज की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा पशुधन के संरक्षण हेतु आधुनिक वैज्ञानिक उपाय करेगा।
13. राज्य मदिरा तथा अन्य हानिकारक पदार्थों के प्रयोगों का निषेध करेगा।
14. कृषि विकास के लिये कारगर नीति अपनायेगा।
15. भूखमरी और गरीबी, बेरोजगारी का अन्त करेगा।
16. राज्य गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबन्ध लगायेगा।
17. राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देकर विश्वशान्ति और मानवता की सुरक्षा के लिये प्रयत्नशील रहेगा।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

भारत के संविधान के भाग। (अनुच्छेद 36–51) में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं। अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। इन सिद्धांतों का उदेश्य लोगों के लिये सामाजिक–आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन

1. पहला ही संशोधन अधिनियम भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिये था।
2. 4, 17, 25, 42 तथा 44 वें संशोधन अधिनियमों में इसी का अनुगमन किया गया।
3. 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (1992), अनुच्छेद 40 (ग्राम पंचायत) के क्रियान्वयन की दिशा में एक कदम था।
4. ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिया गया है, जो अनुच्छेद 49 के प्रावधान का अनुपालन है।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1992 के उत्तरार्ध में पूरी मंदिर के क्षय से संरक्षण का कार्य हाथ में लिया।
6. अनेक योजनायें, जैसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यान भोजन योजना तथा मादक पेयों के प्रतिषेद हेतु कुछ राज्यों की नीति (यथा 1993 में आंध्रप्रदेश) अनुच्छेद–47 का ही अनुसरण है।
7. हरित क्रांति तथा जैव प्रौद्योगिकी में शोध का एक लक्ष्य कृषि व पशुपालन का आधुनिकीकरण भी है, जो कि अनुच्छेद 48 का अनुसरण है।
8. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 वन्य जीवन अधिनियम, राष्ट्रीय वन नीति 1988 आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो अनुच्छेद 48 (क) के क्रियान्वयन की दिशा में लिए गये हैं।
9. 1995 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना की।
10. जिला स्तर पर कुछ न्यायिक शक्तियों से कार्यपालिका के कार्य को सम्पन्न करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किया गया संशोधन अनुच्छेद 50 का अनुसरण है।
11. अंतर्राष्ट्रीय शांति को सुनिश्चित करने के लिये भारत ने अनेक प्रयास किये हैं यथा संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना की कार्यवाहियों में भाग लेना (सोमालिया, सिएरा, लियोन आदि) गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारम्भ व नेतृत्व करना इत्यादि।

मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर

यद्यपि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक अधिकारों का लक्ष्य देश तथा देश के नागरिकों का हर सम्भव विकास करना है, तथापि इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी कुछ अंतर है–

1. मौलिक अधिकारों के पालन हेतु न्यायालय द्वारा बाध्य किया जा सकता है, किन्तु नीति निर्देशक तत्वों के पालन में न्यायिक बाध्यता न होकर जनमत की शक्ति है।
2. मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति न्यायालय की शरण नहीं ले सकता।
3. मौलिक अधिकार निषोधात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हैं। उसमें राज्य द्वारा यह निर्देश होता है कि उसे क्या करना चाहिये, जबकि मौलिक अधिकारों में राज्य को आदेशित किया जाता है कि उसे क्या करना चाहिए।
4. मौलिक अधिकार राजनीतिक व सामाजिक स्वतंत्रता पर बल देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आर्थिक स्वतंत्रता पर बल देता है।
5. मौलिक अधिकार की व्यवस्था राज्य के नागरिकों के उपभोग के लिये है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था राज्य के निर्देश के लिये है।
6. मौलिक अधिकार का क्षेत्र सीमित है जबकि नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र विकृत व व्यापक है।
7. मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति आपातकालीन व्यवस्था में प्रतिबन्धित कर सकता है जबकि नीति निर्देशक तत्व आपातकालीन घोषणा के बाद राज्य को सदा निर्देश देते रहते हैं।

मौलिक अधिकार हमें राजनीतिक अधिकार प्रदान करतें हैं जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये आवश्यक होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से हमें सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इन तत्वों का कार्य एक जन–कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 36–51 में उल्लेख किया गया है।

एम.सी.मेहता बनाम भारत संघके मामले में न्यायलय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 51–क(छ) के अधीन केन्द्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह देश की शिक्षण संस्थाओं में सप्ताह में एक घण्टे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दे। दूसरी बात जो महत्व की है वह यह है कि अनुच्छेद 51(क) की भाषा बड़ी

विस्तृत है और इसके अर्थ तथा विस्तार के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है किन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि इस अनुच्छेद की भाषा की परिधि के अन्तर्गत राज्य किसी भी नागरिक को दण्डित कर सकता है।

भारत सरकार बनाम जार्ज फिलिप्सके मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 51 क (ज) के अधीन प्रत्येक नागरिक के जीवन के सभी क्षेत्रों में निरन्तर उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करने का कर्त्तव्य तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह अपने कर्त्तव्य के प्रति अनुशासन और समर्पण की भावना न रखे। न्यायालय ऐसे आदेश न पारित करे जहाँ भाग। में निहित उदेश्यों को नष्ट करने की प्रवृति हो। प्रस्तुत मामले में अपीलार्थी को 6 माह का समय पद ग्रहण करने के लिये देना, अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना ही नहीं वरन् संगठन में कार्य संस्कृति के विपरीत भी है। अतः अपीलार्थी की अनिवार्य सेवानिवृति पर अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अतः उच्चतम न्यायालय ने उनके आदेश को अपास्त कर दिया।

'विधिक सहायता' और 'शीघ्रतर परीक्षण'

अनुच्छेद 51 के अधीन बन्दियों के मूल अधिकार माने जाते हैं और इन्हें प्रवर्तित करना न्यायालय का परम कर्त्तव्य है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक महत्व के निर्णय सरला मुद्गल बनाम भारत संघमें प्रधानमंत्री से यह निवेदन किया कि वे संविधान के अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण अपनाएं जिसमें सभी नागरिकों के लिऐ एक 'समान सिविल संहिता' के बनाने का निर्देश दिया गया है और कहा कि ऐसा करना पीड़ित व्यक्ति की रक्षा तथा राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता की अभिवृद्धि दोनों दृष्टि से आवश्यक है।

नूर शाबा खातून बनाम मोहम्मद कासिमके मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने बच्चों के लिये जब तक कि वे बालिग नहीं हो जाते हैं, पति से भरण–पोषण पाने का अधिकार है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

हमें यह मान लेना होगा कि अधिकार एवं कर्त्तव्य ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पहले कि हम अधिकारों की अपर्याप्तता का दावा करें, हमें अपनी जिम्मेदारियों पर विचार कर अपने कर्त्तव्यों की पूर्णता की ओर ध्यान देना होगा। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनो ही संवैधानिक ढाँचें के अभिन्न अंग हैं। ये दोनो ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। जहाँ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं।

सन्दर्भ सूचि

1. त्रिपाठी प्रदीप, मानवाधिकार और भारतीय संविधान संरक्षण एवं विश्लेषण, (2012) राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ.सं. 13–14
2. हेगड़े, के. सदानन्द (1972): भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्व, पृ.सं.2–3
3. प्रदीप त्रिपाठी, मानवाधिकार और भारतीय संविधान, संरक्षण एवं विश्लेषण (2010) राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ.सं. 12
4. राय अरूण, भरत में जनहितवाद औश्र मानव अधिकार (2010) राधा पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ.सं.11
5. डॉ अरूण चतुर्वेदी एवं संजय लोहा, भारत में मानवाधिकार (2010) पंचशील प्रकाशन जयपुर,
6. जयनारायण पाण्डेय भारत का संविधान 46 वां संस्करण सैन्ट्रल लॉ एजेन्सी 2013 पेज 429
7. अनिरूद्ध प्रसादः विधिशास्त्र के मूल सिद्धान्त, चतुर्थ संस्करण, 2010,
8. आर.पी. जोशी, मानव अधिकार एवं कर्त्तव्य, (2006) अभिनव प्रकाशन, अजमेर
9. 1988 1 एससी 47
10. एआईआर 2007 एससी 705
11. 1995 3 एससीसी 635
12. एआईआर 1997 एससी 3280